कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक 6141 ..../स्टेनो/2018

जबलपुर दिनांक 26.07.2018

आम सूचना

चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के समस्त पी.जी. (एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा) छात्रों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा की गई हड़ताल को दिनांक 23.07.2018 म0प्र0 शासन द्वारा मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एंव विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद् द्वारा विनिष्टि सेवा में कार्य किये जाने एवं सामूहिक अवकाश लिये जाने से दिनांक 23.07.2018 से आगामी 3 माह की अवधि के लिये प्रतिषेध किया गया है ,एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (नियम 3 (iv) 2017 यथा "दुराचरण अनुशानहीनता तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित" नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामांकना को निरस्त किया जाना सम्मिलत है ।

उक्त हड़ताल के विरूद्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1882/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि हड़ताल अवैध है ,परन्तु आज दिनाक 26.07.2018 तक आप कार्य पर उपस्थित नही हुये है , आप को निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होवें, अन्यथा आपके विरूद्व एस्मा की धारा – 4 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करने की कार्यवाही, मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर करने की कार्यवाही , एवं म0प्र0 एवं भारतीय आयुविज्ञान परिषद के द्वारा पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी ।

26/7/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

Scanned by CamScanner